जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 24.01.2026

थाना महुली द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 01 अदद मोटर बिजली, घटना मे प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल, 02 अदद मोबाइल व 11,070/ रुपए नकद के साथ वाँछित 03 अभियुक्तो व 01 नाबालिग को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थानाध्यक्ष महुली *श्री रजनीश राय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 31/2026 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 04 अभियुक्त क्रमशः 01. संदीप यादव पुत्र राजहंश यादव साकिन नीबाहोरिल थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 02. नाबालिग अभियुक्त को 01 मोटरसाइकिल (यूपी 58 वाई 1073) व 3700 रु0 नकद के साथ नाथनगर पशु अस्पताल के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर चमन चौरसिया के अलीनगर स्थित मुर्गी फार्म से अन्य 02 अभियुक्तों नाम पता 03. चमन चौरसिया पुत्र मनीष चौरसिया साकिन अलीनगर थाना महुली जनपद संतकबीर नगर 04. राधेश्याम पुत्र चौथी प्रसाद साकिन अलीनगर थाना महुली जनपद संतकबीर नगर को उनकी निशानदेही पर 01 अदद चोरी के टुल्लू पंप व 7370 रु0 नकद के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2),317(4)/317(5)/112 बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का विवरण- दिनाँक 23.01.2026 को वादी श्री रामचन्द्र यादव पुत्र श्री बृजलाल निवासी सड़हरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर उनके खेत से अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना महुली पर मु0अ0सं0 31/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. संदीप यादव पुत्र राजहंश यादव साकिन नीबाहोरिल थाना महुली जनपद संतकबीरनगर

02. 01 नाबालिग अभियुक्त।

03. चमन चौरसिया पुत्र मनीष चौरसिया साकिन अलीनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।

04. राधेश्याम पुत्र चौथी प्रसाद साकिन अलीनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण – 01 अदद टुल्लू पंप, 01 अदद मोटरसाइकिल (यूपी 58 वाई 1073), 11,070 रु0 नकद।

*पूछताछ विवरण-*उक्त अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि बरामद शुदा बिजली के मोटर को संदीप व नाबालिग द्वारा ग्राम सडहरा से दिनांक 23.12.2025 की रात्रि में चोरी किया गया था तथा बेचने हेतु चमन चौरसिया के फार्म पर लाकर रखा गया था। आज दिनाँक 24.01.2026 को पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, हे0का0 पंकज यादव, का0 विजय गौतम, का0 अजीत गुप्ता।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. धनसरा देवी पत्नी हनुमान लाल ग्राम गायघाट थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अवधेश सिंह यादव , म0हे0का0 चेतना पाण्डेय।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 5995 द्वारा घरेलू विवाद/ मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5995 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत कौआठोर से कालर द्वारा घरेलू विवाद / मारपीट में घायल 01 व्यक्ति (1.गज्जू निषाद पुत्र भगवती निषाद सा0 कौआठोर थाना मेहदांवल जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट विवाद में घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मेहदावल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मेहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- आ0 रणवीर कुमार कृष्णा, आ0 अविनाश गौंड, हो0चा0 सुभाष मौर्य।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 118 वाहनों से 1,32,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 24.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 118 वाहनों से 1,32,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 119/2025 धारा 108 बीएनएस मे वाँछित अभियुक्त गौरव सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी कटबन्ध बनकटवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को डीघा बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 08.02.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया कि वादी के पुत्र देवव्रत उर्फ राज सिंह को उक्त अभियुक्त व उसके साथियों द्वारा आनलाईन जुआ व ड्रग्स में फंसाकर प्रताड़ित किया गया और रुपये ले लिये गये तथा बार बार मारपीट की गयी जिससे तंग आकर वादी के पुत्र ने आत्महत्या कर लिया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 24.01.2026 को घटना में संलिप्त उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- अपराध निरीक्षक श्री राजीव कुमार यादव, का0 दीपक कुमार वर्मा, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गाली व धमकी देने के अपराध में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 4500 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 23.01.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 4500 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री श्यामलौट पुत्र बलाज निवासी बलुअरा जंगलउन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अभियुक्तों द्वारा गाली गलौज व जान मारने की धमकी दी गयी। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री आर0एन0रावत द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 15/2004 धारा 504, 506 भादवि थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. गंगाराम 2. दयाराम पुत्रगण परदेशी 3. बसंत पुत्र रामलाल निवासीगण जंगलउन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर जुर्म स्वीकार करने पर धारा 504, 506 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व प्रत्येक को 1500-1500रु0 (कुल 4500 रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आयुध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 3000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 23.01.2026 को *माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 संतकबीरनगर* द्वारा अभियुक्त को आयुध अधिनियम के मामले में न्यायालय उठने तक की सजा तथा 3000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

मु0अ0सं0 70/2001 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त रामगोपाल उर्फ राम विकास पाण्डेय पुत्र माता प्रसाद पाण्डेय को दिनाँक 11.02.2001 को 01 अदद कट्टा 12 बोर व 02 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था।

सजा विवरणः-

अभियुक्त रामगोपाल उर्फ राम विकास पाण्डेय उपरोक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- *जनपद के समस्त थानों द्वारा 61 स्थानों पर 1355 व्यक्तियों को किया गया चेक।*
- *821 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया।*
- *37 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही।*
- *53 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 12 स्थानों पर 205 व्यक्तियों को चेक किया गया, 150 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 05 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 117 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 04 स्थानों पर 130 व्यक्तियों को चेक किया गया, 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 12 स्थानों पर 140 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 86 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 15 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 16 स्थानों पर 230 व्यक्तियों को किया गया, 150 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 10 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 16 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06.थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 105 व्यक्तियों को चेक किया गया, 25 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 01 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 250 व्यक्तियों को चेक करते हुए 185 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 07 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 03 स्थानों पर 140 व्यक्तियों को चेक किया गया, 80 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 38 व्यक्तियों को चेक किया गया, 35 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 60 स्थानों पर 2118 वाहनों को किया गया चेक ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 95 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहन पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 01 जाति सूचक शब्द पर की गयी कार्यवाही*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1517 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी ।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 24.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है । जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।